एम० ए० गांधी एवं शांति अध्ययन

द्वितीय-सेमेस्टर

डॉ अम्बिकेश कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
मोतीहारी, बिहार

4008 Understanding Conflict: Basic Theories

४००८ संघर्ष की समझ: आधारभूत सिद्धांत

'सशस्त्र संघर्ष क्यों होता है'? 'सशस्त्र संघर्ष के अस्तित्व के पीछे मूल कारण क्या हैं'? और 'सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए प्रभावी तरीके क्या-क्या हो सकते हैं'? इन सवालों पर कई शोध किए गए हैं, लेकिन, एक सशस्त्र संघर्ष के पीछे काम करने वाले विविध कारण और सशस्त्र संघर्ष के बारे में हमारी स्पष्ट समझ की कमी के कारण कोई भी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत यह दावा नहीं कर सकता है कि वह सशस्त्र संघर्ष ("एक हिंसा घटना") क्यूँ उत्पन्न होते हैं, या उनकी पुनरावृत्ति के कारणों को पूरी तरह से बताता है। सशस्त्र संघर्ष, विवादों को हल करने या राजनीतिक/आर्थिक/सांस्कृतिक/सामाजिक मूल की मांग को पूरा करने के लिए विद्रोहियों के समूहों द्वारा सशस्त्र हिंसा का उपयोग है। इस लेख में हम एक प्राचीन सैद्धांतिक समझ पर चर्चा करेंगे जो मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही मौजूद है और सशस्त्र संघर्ष के हमारे अध्ययन की नींव के रूप में बनी हुई है। 'दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारें, विद्रोहियों और सशस्त्र संघर्षों से निपटने के लिए कई रणनीतियों और प्रतिमानों का उपयोग करती हैं, लेकिन प्रमुख रणनीति 'सुरक्षा प्रतिमान' पर आधारित है, जिसमें यथास्थिति को बनाए रखना और विद्रोहियों को कमजोर करने, उनको नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था और स्थापित करने के लिए शस्त्रों और अन्य बलमूलक संस्थाओं के उपयोग के साथ-साथ विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं जैसे रोजगार सृजन, ऋण माफी और आकर्षक आत्मसमर्पण नीति को प्रयोग में लाया जाना शामिल होता है। सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर संक्षिप्त चर्चा के बाद, जो भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती - माओवादी हिंसा के साथ-साथ दुनिया भर में विभिन्न संघर्षों के बारे में हमारी समझ विकसित करता है, हम इस परिप्रेक्ष्य की सीमाओं पर चर्चा करेंगे और इसकी आलोचनाओं पर विचार करेंगे।

- 'सशस्त्र संघर्ष क्यों होता है'?
- 'सशस्त्र संघर्ष के अस्तित्व के पीछे मूल कारण क्या हैं'?
- 'सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए प्रभावी तरीके क्या-क्या हो सकते हैं'?
- कोई भी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत यह दावा नहीं कर सकता है कि वह सशस्त्र संघर्ष ("एक हिंसा घटना") क्यूँ उत्पन्न होते हैं, या उनकी पुनरावृत्ति के कारणों को पूरी तरह से बताता है।
- इस लेख में हम एक प्राचीन सैद्धांतिक समझ पर चर्चा करेंगे जो मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही मौजूद है और सशस्त्र संघर्ष के हमारे अध्ययन की नींव के रूप में बनी हुई है।

संघर्ष और सुरक्षा दृष्टिकोण:

डॉ अम्बिकेश कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
मोतीहारी, बिहार

मानव-समाज के शुरुआत के साथ ही सुरक्षा संबंधी चिंताएँ प्रमुख बन पड़ी थीं और इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि सुरक्षा पाने के लिए जो सबसे पहला उपाय इस्तेमाल किया होगा वह निस्संदेह मांसपेशियों की ताकत के अलावा कुछ नहीं था। मांसपेशियों की शक्ति से लेकर अत्याधुनिक हथियारों के वर्तमान समय तक सुरक्षा की धारणा निरंतर बनी हुई है। व्यक्ति और समुदाय और समाज से लेकर आधुनिक राज्य तक, सुरक्षा की यह धारणा कायम है। दुनिया भर में, संघर्ष, मुख्य रूप से, सरकारों द्वारा कानून और व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती के रूप में देखा जाता है और इसे कानून-व्यवस्था की समस्या और चुनौती की समझ से निपटा भी जा रहा है। आधुनिक राज्य सशस्त्र संघर्षों को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा आधुनिक राज्य की प्राथमिक चिंता है और इसकी घरेलू और विदेश नीति का आधार भी है। राज्य का सर्वोपरि कार्य अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव करना माना जाता है। यथार्थवादी सिद्धांत, सुरक्षा के दृष्टिकोण को मुख्यधारा की सैद्धांतिक नींव यह तर्क देकर प्रदान करते हैं कि 'चूंकि राज्य सुरक्षा का प्राथमिक प्रदाता है, इसलिए राज्य की सदस्यता के आधार पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। व्यक्ति की सुरक्षा राज्य के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि राज्य सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और संरक्षण के लिए, और बाहरी लोगों से और आंतरिक संघर्ष से नागरिकों को बचाने के लिए बाध्य है'। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सुरक्षा से 'छन' कर आती है, अर्थात, राज्य की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा पर प्राथमिक है। यथार्थवादियों के अलावा, मैक्स वेबर ने अपने लेख, '**पॉलिटिक्स एज़ ए वोकेशन**' में लिखा है कि, राज्यवाद की एक मौलिक विशेषता हिंसा के उपयोग के लिए वैधता के एकाधिकार का उसका दावा है। उनकी विस्तारित परिभाषा यह है कि, "एक 'राज्य' वह है जो सफलतापूर्वक अपने आदेश के प्रवर्तन में 'भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार" के दावा रखता है।" वेबर के अनुसार, राज्य वह "मानव समुदाय (जो सफलतापूर्वक) है कि किसी दिए गए क्षेत्र में हिंसा के वैध उपयोग के एकाधिकार का दावा करता है।" सार्वजनिक

- मांसपेशियों की शक्ति से लेकर अत्याधुनिक हथियारों के वर्तमान समय तक सुरक्षा की धारणा निरंतर बनी हुई है। व्यक्ति और समुदाय और समाज से लेकर आधुनिक राज्य तक, सुरक्षा की यह धारणा कायम है।
- दुनिया भर में, संघर्ष, मुख्य रूप से, सरकारों द्वारा कानून और व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती के रूप में देखा जाता है और इसे कानून-व्यवस्था की समस्या और चुनौती की समझ से निपटा भी जा रहा है।
- आधुनिक राज्य सशस्त्र संघर्षों को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा आधुनिक राज्य की प्राथमिक चिंता है और इसकी घरेलू और विदेश नीति का आधार भी है।
- यथार्थवादी सिद्धांत, सुरक्षा के दृष्टिकोण को मुख्यधारा की सैद्धांतिक नींव यह तर्क देकर प्रदान करता है।
- व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सुरक्षा से 'छन' कर आती है, अर्थात, राज्य की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा पर प्राथमिक है।
- मैक्स वेबर ने अपने लेख, '**पॉलिटिक्स एज़ ए वोकेशन**' में लिखा है कि, राज्यवाद की एक मौलिक विशेषता हिंसा के उपयोग के लिए वैधता के एकाधिकार का उसका दावा है।

पुलिस और सेना इसके मुख्य साधन हैं, लेकिन निजी सुरक्षा को "हिंसा का उपयोग करने का अधिकार" भी माना जा सकता है, जब तक कि इस कथित अधिकार का एकमात्र स्रोत राज्य की मंजूरी हो।

डॉ अम्बिकेश कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
मोतीहारी, बिहार

यह परिप्रेक्ष्य विद्रोहियों (एक संघर्ष में शामिल कर्ताओं) को अवैध रूप से बसने वाले या अतिचारियों के रूप में देखता है, जो शांतिपूर्ण माहौल को परेशान और अपवित्र करते हैं और सरकार संघर्ष का मुकाबला करने और भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आतंकवाद-विरोधी रणनीति को नियुक्त करती है, उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के प्रयास के चार प्लस दशकों के दौरान कानून और व्यवस्था दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को नियोजित किया है। जब राज्य सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण का सहारा लेता है, तो वह अपने आक्रामक तंत्र यानी पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सैन्य बलों और कभी-कभी निजी सतर्क समूहों का उपयोग करता है।

भारत का केस स्टडी:

- सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विद्रोहियों को अवैध रूप से बसने वाले या अतिचारियों के रूप में देखता है।
- सरकार संघर्ष का मुकाबला करने और भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आतंकवाद-विरोधी रणनीति को नियुक्त करती है।
- जब राज्य सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण का सहारा लेता है, तो वह अपने आक्रामक तंत्र यानी पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सैन्य बलों और कभी-कभी निजी सतर्क समूहों का उपयोग करता है।

1969 और 1972 के बीच नक्सलियों के खिलाफ भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के आतंकवाद रोधी अभियानों का पहला उपयोग किया गया। बाद के दशक में राष्ट्रीय आपातकाल के साथ संयुक्त रूप से आतंकरोधी अभियानों को चलाया गया और इस आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। 1970 के दशक तक यह आंदोलन का अपने सभी राजनीतिक उद्देश्यों के साथ अंत हो गया। लेकिन इस आंदोलन को दबाने के उद्देश्य में राज्य द्वारा उन्हीं हथकंडों के इस्तेमाल किया गया जो नक्सलियों ने द्वारा अपने हिंसक आंदोलन को चलाने में किया जाता रहा है, और कानून के तहत जिन मानवाधिकारों की गारंटी है, उनका सम्मान नहीं किया। अतिरिक्त-संवैधानिक साधन, जैसे; गैरकानूनी निरोध, पुलिस यातना, नज़रबंदी, मुठभेड़ों में हत्या, और असाधारण हत्या, आदि का राज्य द्वारा चतुराई से इस्तेमाल किया गया। आदिवासियों और किसानों का अक्सर क्रूर दमन किया गया जिसके दौरान कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। यद्यपि इस प्रकार के सुरक्षा उपायों से नक्सलबाड़ी आंदोलन अपने शरीर में समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी आत्मा अगली पीढ़ी के किसान-आदिवासी विद्रोह के लिए एक नए तथा और अधिक घातक रूप में बनकर सामने आई।

डॉ अम्बिकेश कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
मोतीहारी, बिहार

आलोचनाएँ:

1. सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रित समझ को बुद्धिजीवियों और विद्वानों के एक वर्ग द्वारा चुनौती दी गई है, जो सशस्त्र संघर्ष को सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में देखते हैं, और अभाव, आजीविका की हानि, रोजगार के अवसरों की कमी और गरीबी आदि को समाप्त करने की वकालत करते हैं करते हैं। उनका तर्क है कि सरकार द्वारा "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" शब्द का उपयोग सुरक्षा केंद्रित राज्य के उदय को न्यायोचित ठहराने के लिए एक दुरूपयोग के रूप में किया जाता है। इससे राज्य दमनकारी कानूनों के उपयोग का अवसर मिलता है और वास्तविक लोकतांत्रिक आवाज़ों और असंतोष का अनसुना कर दिया जाता है।
2. इस दृष्टिकोण की मुख्य विफलता हिंसा में दृढ़ विश्वास और सशस्त्र संघर्ष को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में लेना भी है। जबकि संघर्षों के पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक आयाम भी हैं। यह दृष्टिकोण विद्रोहियों को कानून तोड़ने वाले अपराधियों के रूप में देखता है और बल के उपयोग द्वारा उन्हें कानून के पालन करने वाले लोगों में बदलने का प्रयास करता है।
3. यह परिप्रेक्ष्य शांति कायम करने के लिए औपनिवेशिक-परिभाषा के संदर्भ में सुरक्षा के अर्थ को प्रस्तावित करता है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त-संवैधानिक उपायों के उपयोग को शामिल करता है। यह **'राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए'** वाक्यांश हिंसा के उपयोग को वैधता प्रदान करता है और इसकी छाया में राज्य बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए, भारत में नक्सलियों के खिलाफ आतंकवाद रोधी अभियान में कई निर्दोष आदिवासी, सामान्य नागरिक और यहां तक कि उच्च वर्ग के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। आंदोलन कुछ समय के लिए रुक गया लेकिन समाप्त नहीं हुआ।

अपनी इन्हीं कुछ सीमाओं के कारण सशस्त्र संघर्ष को समझने, उसको नियंत्रित करने और समाप्त करने में सुरक्षा दृष्टिकोण आंशिक सफल हो पाया। लेकिन इस यह अर्थ कदापि नहीं है की यह दृष्टिकोण बिल्कुल प्रासंगिक एनएचएन रहा। इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता इस संदर्भ में बनी हुई है कि विद्रोही समूह राज्य के विकासात्मक गतिविधियों और लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदिवासियों तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। वे सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं होने देते। राज्य जेनेवा सम्मेलन की विधियों से बाध्य हो जाता है। ऐसे में विद्रोहियों से निपटने और अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुँचने में सुरक्षा-दृष्टिकोण अपनी प्रासंगिकता रखता है।